

कैशलेस योजना में कवर होंगे हरियाणा के 6.51 लाख कर्मी

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सरकार राज्य में कैशलेस योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है जिसके तहत छह लाख 51 हजार से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रितों समेत अन्य श्रेणियों के लोग कवर होंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत श्रेणी-1 के तहत हरियाणा के सरकारी व नगिम कर्मचारियों के तीन लाख 43 हजार 746 परिवार, पेंशनर्स के तीन लाख पाँच हजार परिवारों को यह लाभ मिलेगा।
- श्रेणी-2 में मान्यताप्राप्त पत्रकारों के 1200 परिवार, आज़ाद हृदि फौज के सैनिकों के 424 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों के 555 परिवार, हिन्दी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के 614 परिवार शामिल किये जाएंगे।
- मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सूची में शामिल नज्दी अस्पतालों की भौगोलिक दृष्टि से मैपिंग की जाए तथा योजना के लिये अधिकारियों व कर्मचारी संघों से भी सुझाव लेकर मसौदा तैयार किया जाए।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के लिये गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों में उपचार की अनुमति वर्तमान अभ्यास के अनुसार ही दी जाएगी। 'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना' के तहत राज्य की राजधानियों, मेट्रो शहरों के पैनेल में शामिल अस्पतालों को भी हरियाणा सरकार की बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- वदिति है कि पैनेल इंडिया के पैनेल पर वर्तमान में हरियाणा, ट्राईसिटी, एनसीआर में सूचीबद्ध सभी पैनेल अस्पतालों में सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- मुख्य सचिव ने कैशलेस योजना के इस संबंध में अधिकारियों को बीमा योजना का आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट) भी जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है।
- उल्लेखनीय है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (RFP) एक खरीद प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण में जारी किया जाता है, जहाँ आपूर्तिकर्ताओं के लिये एक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अक्सर बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निर्माण प्रस्तुत किया जाता है।